न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 13/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री चतरभुज पुत्र श्री श्रीलाल
2–श्री मुरलीधर पुत्र श्री श्रीलाल जातिगण–गूजर नि. माथनी तह0 बारां **(अप्रार्थीगण)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री संजय नागर, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 26.08.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 किता 3 रकबा 0.51 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम माथनी तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई रहे है। ख0नं0 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0. 42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 आराजी सम्वत् 2038–57 जमाबन्दी में खातेदार मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2015–24 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा [illegible] याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. [illegible] न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को [illegible] आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को [illegible] दर्ज किये जाने हेतु [illegible] किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 10.03.2016 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त आराजीयात जरिये विक्रयपत्र उत्तरदाता के नाम से जरिये संरक्षक पिता श्रीलाल पुत्र श्री कालूलाल जाति गूजर निवासी माथना तहसील बारां जिला बारां राज0 ने दिनांक 10.03.1986 को खरीद की थी बाद खरीद से उत्तरदातागण के पिता व वर्तमान में उत्तरदाता काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसलिये उक्त रेफरेंस कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। अतः रेफरेंस कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्धान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीद किये जाने से पूर्व मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को ग्राम माथनी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से भूमि आवंटित/नियमन हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

6— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजीयात जरिये विक्रयपत्र उत्तरदाता के नाम से जरिये संरक्षक पिता श्रीलाल पुत्र श्री कालूलाल जाति गूजर निवासी माथना तहसील बारां जिला बारां राज0 ने दिनांक 10.03.1986 को खरीद की थी बाद खरीद से उत्तरदातागण के पिता व वर्तमान में उत्तरदाता काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मु. गोपाली

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण के भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.तलाई थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.तलाई दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण आवंटन/नियमन के पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त रही हैं। तथा कयतिथि से अप्रार्थीगण के संरक्षक पिता व उनके बाद से अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 बने है जो वर्तमान में सम्वत् 2067–70 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 60 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन/नियमन हुआ है तथा जरिये विक्रयपत्र उत्तरदाता के नाम से जरिये संरक्षक पिता श्रीलाल पुत्र श्री कालूलाल जाति गूजर निवासी माथना तहसील बारां जिला बारां राज0 ने दिनांक 10.03.1986 को उक्त आराजी खरीद की है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 किस्म [illegible] बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार मु. गोपाली बाई जोजे [illegible] कौम ब्राह्मण को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी [illegible] गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि [illegible] बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015–24 में किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम माथनी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 617 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका मु. गोपाली बाई जोजे श्रीकृष्ण कौम ब्राह्मण को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.06 है., ख0नं0 996 रकबा 0.42 है0 एवं ख0 नं0 997 रकबा 0.03 है0 [illegible] वाके ग्राम माथनी तहसील–बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, [illegible]रण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश [illegible] दिनांक [illegible].8.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां